



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1350]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 28, 2009/भाद्र 6, 1931

No. 1350]

NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 28, 2009/BHADRA 6, 1931

संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(दूरसंचार विभाग)

संकल्प

नई दिल्ली, 20 अगस्त, 2009

का.आ. 2198(अ).—राष्ट्रपति, दिनांक 1 सितम्बर, 2009 से भारतीय डाक और दूरसंचार लेखा और वित्त सेवा समूह "ख" संवर्ग जिसमें संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के डाक विभाग और दूरसंचार विभाग दोनों के सहायक लेखा अधिकारी, लेखा अधिकारी तथा वरिष्ठ लेखा अधिकारी शामिल हैं, के विलयन का आदेश देते हैं।

2. भारतीय डाक और दूरसंचार लेखा और वित्त सेवा समूह "ख" लेखा संवर्ग के विलयन की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं :-
- विद्यमान भर्ती नियमों को रद्द कर दिया जाएगा और विलयित संवर्ग के लिए नए भर्ती नियम अधिसूचित किए जाएंगे।
  - नए भर्ती नियमों की अधिसूचना होने तक विद्यमान भर्ती नियमों का अनुपालन किया जाएगा।
  - सेवा शर्तों जैसेकि प्रशिक्षण जरूरतों, स्थानांतरण नीति आदि विषयक रूपरेखा से संबंधित विस्तृत अनुदेश बाद में जारी किए जाएंगे।
  - विलयित भारतीय डाक और दूरसंचार लेखा और वित्त सेवा समूह "ख" लेखा कर्मियों के नियुक्ति प्राधिकारी और संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी की संहिताबद्ध शक्तियों का प्रयोग सदस्य (वित्त), दूरसंचार आयोग द्वारा किया जाएगा।
  - विलयित संवर्ग की वरिष्ठता को बनाए रखने, उपर्युक्त (iii) में उल्लिखित संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी के नीतिगत निर्णयों का कार्यान्वयन करने तथा पदोन्नति के लिए विभागीय पदोन्नति समिति का संचालन करने संबंधी दिन-प्रतिदिन के प्रशासनिक मामलों के लिए डाक लेखा संगठन का प्रमुख (फिलहाल उप महानिदेशक पीएफ), डाक विभाग नोडल प्राधिकारी होगा।

[सं. 27-1/2006-एसईए II (खण्ड VI)]

पी. के. सिन्हा, उप महानिदेशक (एफईबी)

**MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY****(Department of Telecommunications)****RESOLUTION**

New Delhi, the 20th August, 2009

**S.O. 2198(E).**—The President is pleased to order amalgamation of IP & TAFS Group 'B' cadre consisting of Assistant Accounts Officer, Accounts Officers and Sr. Accounts Officers of both the Department of Posts and Department of Telecommunications of Ministry of Communications and Information Technology with effect from 1st September, 2009.

2. The salient features of amalgamation of IP&TAFS Group 'B' Accounts cadre are as follows :—

- (i) The existing R/Rs would be repealed and new Recruitment Rules (R/Rs) for amalgamated cadre shall be notified.
- (ii) Till notification of new R/Rs, existing R/Rs would be followed.
- (iii) The detailed instructions regarding modalities pertaining to service conditions such as training needs, transfer policy, etc. would be issued subsequently.
- (iv) The codified powers of the appointing authority and cadre controlling authority of amalgamated IP&TAFS Gr.'B' Accounts personnel at Apex level would be exercised by the Member (Finance), Telecom Commission.
- (v) Head of Postal Accounts Organisation (at present DDG PAF), Department of Posts would be the nodal authority for day to day administrative matters relating to maintaining seniority of the merged cadre, conducting DPC for promotion and implementation of policy decisions of the cadre controlling authority mentioned in (iii) above.

[No. 27-1/2006-SEA II (Vol. VI)]

P. K. SINHA, Dy. Director General (FEB)